# प्रेस नोट
## थाना कोतवाली, झाँसी

**दिनांक 13.07.2026**

- **जनपद झाँसी पुलिस द्वारा सनसनीखेज लूट की घटना का 24 घंटे के अन्दर सफल अनावरण ।**
- **थाना कोतवाली पुलिस द्वारा 06 अभियुक्त गिरफ्तार ।**
- **लूटे गए ₹24,50,000/- (चौबीस लाख पचास हजार रुपये) नकद एवं घटना में प्रयुक्त क्रेटा कार बरामद।**

**कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ एवं पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के मार्गदर्शन तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 192/2026, धारा 310(2) बीएनएस से संबंधित 06 अभियुक्तगण 1. गौरव यादव पुत्र भगवान सिंह यादव निवासी दतिया टोल टैक्स के पास, चिटवा कॉलोनी, थाना चिरूला, जनपद दतिया म)0प्र0), उम्र 26 वर्ष, 2. सूर्यांश यादव पुत्र बृजेन्द्र सिंह यादव निवासी खुशीपुरा, कानपुर रोड, थाना नवाबाद, जनपद झाँसी, उम्र करीब 20 वर्ष, 3. सुखबीर पुत्र पर्वत सिंह निवासी ग्राम बल्लमपुर, थाना प्रेमनगर, जनपद झाँसी, उम्र 24 वर्ष, 4. सूरज सिंह पुत्र दिलीप सिंह निवासी 14/बी, महावीरनपुर, थाना प्रेमनगर, जनपद झाँसी, उम्र 24 वर्ष, 5. आरक्षी ए0पी0 राघवेन्द्र राजपूत पुत्र नन्दराम राजपूत निवासी ग्राम बरौदा स्वामी, थाना जखौरा, जनपद ललितपुर, हाल तैनाती पुलिस लाइन, जनपद जालौन, उम्र 30 वर्ष 6. आरक्षी ए0पी0 मनोज पुत्र गणेश कुमार निवासी ग्राम पिसनारी, थाना मडवारा, जनपद ललितपुर, हाल तैनाती पुलिस लाइन, जनपद जालौन, उम्र 29 वर्ष को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा 24 घंटे के अन्दर गिरफ्तार किया गया तथा लूटे गये रूपयों में से ₹24,50,000/- (चौबीस लाख पचास हजार रुपयेनकद एवं घटना में प्रयुक्त क्रेटा कार बरामद की गई (। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।**

**संक्षिप्त विवरण-**

**दिनांक 12.07.2026 को वादी श्री किशन दिलीप भाई पांचाल पुत्र श्री दिलीप भाई बाबूलाल पांचाल, निवासी सी-304, राधे इन्फिनिटी, वटवा रिंग रोड, अहमदाबाद (गुजरात), हाल निवासी 72, गणेश विहार कॉलोनी, थाना सीपरी बाजार, जनपद झाँसी, उम्र करीब 33 वर्ष द्वारा अज्ञात अभियुक्तगण के विरुद्ध स्वयं एवं अपने साथी के साथ मारपीट कर जबरन ₹24,90,000/- (चौबीस लाख नब्बे हजार रुपयेलूट लेने के संबंध में थाना कोतवाली पर मु (0अ0सं0 192/2026, धारा 310(2) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया। घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए थाना कोतवाली पुलिस द्वारा तत्काल टीमों का गठन कर सुरागरसी, पतारसी एवं सघन खोजबीन करते हुए तथा घटनास्थल एवं उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों का अवलोकन कर 24 घंटे के भीतर घटना का सफल अनावरण किया गया। इस दौरान अभियुक्त 1. गौरव यादव, 2. सूर्यांश यादव 3. सुखबीर 4. सूरज सिंह, 5. आरक्षी एराघवेन्द्र .पी. राजपूत6. आरक्षी एमनोज को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूटे गए .पी. ₹24,50,000/- (चौबीस लाख पचास हजार रुपये( नकद तथा घटना में प्रयुक्त क्रेटा कार संख्या UP 93 CD 8450 (चेचिस संख्या MALPA813LRM88873) बरामद की गई।**

**पूछताछ का विवरण**

सूर्याश यादव उपरोक्त द्वारा पूछताछ करने पर बताया कि आनलाइन सट्टा खेलता हूँ जिससे मुझे काफी नुकसान हो गया था  नितिन तेजवानी व सस्कार तेजवानी निवासी सतना म0प्र0 द्वारा आनलाइन सट्टा खिलवाया जाता है जिसमे जीतने पर हलावा के माध्यम से रुपया भिजवाता था तथा हारने पर रपया हवाला के माध्यम से ही  ले जाता

था मै सट्टा मे काफी रुपया हार गया था जिसमे नितिन तेजवानी , सस्कार तेजवानी का एक संगठित सट्टा खिलवाने का कार्य करते है और मुझसे दबाब बनाकर हारने पर जबरदस्ती रुपया लेते है मै उनका 24,90,000 रुपया सट्टे मे हार गया था जबरदस्ती दबाब बनाकर रुपये लेना चाहता था इसी नुकसान के भरपायी करने के लिये मैने अपने मौसी के लडके अंकित यादव को लूटने हेतु उनके मित्र सुखबीर , सूरज सिंह के साथ योजना बनाया और अकित यादव की पूर्व से आरक्षी राघवेन्द्र राजपूत तैनाती जालौन से पूर्व मे सम्पर्क था उनको भी घटना कारित करने के लिये बुलाया गया और योजना के मुताबिक सूखबरी ने क्रेटा कार की व्यवस्था की तथा राघवेन्द्र राजपूत ने अपने 2 अन्य आरक्षी साथियो को जालौन से बुलावाया तथा योजना के अनुसार दिनाँक 09.07.2026 को पैसा देने के लिये संस्कार तेजवानी को बोला की आपका पेमेन्ट तैयार है उठवा लीजिये सस्कार तेजवानी का डीलर /दलाल किशन पाँचाल को पैसे के लिये भेजा मै इस मामले मे फस ना जाऊ इस लिये झाँसी से बाहर चला गया और फोन द्वारा बात करके उसको अपने घर से सट्टे मे हारे हुये 2490000 रुपया प्राप्त करा दिय़ा तथा अपने साथियो तथा 03 पुलिस आरक्षियो की मदद से दिनाँक 09.07.2026 को छिनवाकर अकित यादव के माध्यम से अपने पास रुपया वापस मंगा लिया ताकि उसको यह लगे कि रुपया किसी बदमाश द्वारा छीन लिया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण –

1- गौरव यादव पुत्र भगवान सिंह यादव निवासी दतिया टोल टेक्स के पास चिटवा कालोनी थाना चिरूला जनपद दगिया उम्र करीब 26 वर्ष

2. सूर्यांश यादव पुत्र बृजेन्द्र सिंह यादव निवासी खुशीपुरा कानपुर रोड थाना नवाबाद जिला झांसी उम्र करीब 20 वर्ष

3. सुखबीर पुत्र पर्वत सिंह नि0 बल्लमपुर थाना प्रेमनगर जनपद झांसी उम्र 24 वर्षवासी

4. सूरज सिंह पुत्र दिलीप सिंह नि0 14/बी महावीरनपुर नगर थाना प्रेमनगर उम्र 24 वर्ष

5. आरक्षी ए0पी0 राघवेन्द्र राजपूत पुत्र नन्दराम राजपूत नि0 ग्राम बरौदा स्वामी थाना जखौरा जनपद ललितपुर हाल तैनाती पुलिस लाइन जनपद जलौन उम्र 30 वर्ष

6. आरक्षी ए0पी0 मनोज पुत्र गणेश कुमार निवासी पिसनारी थाना मडवारा जनपद ललितपुर उम्र 29 वर्ष हाल तैनाती पुलिस लाइन जनपद जालौन

प्रकाश मे आये वान्छित अभियुक्तगण

1- अंकित यादव पुत्र सरमन यादव निवासी महाराज सिंह नगर नबवाब कैफे वाली गली के सामने थाना प्रेमनगर जिला झांसी

2- आरक्षी ए0पी0 नीरज राजपूत हाल तैनाती पुलिस लाइन जनपद जालौन मूल निवासी जनपद दतिया म0प्र0

3- नितिन तेजवानी पुत्र विजय तेजवानी निवासी लालता चौक सतना म0प्र0

4- संस्कार तेजवानी पुत्र विजय तेजवानी निवासी लालता चौक सतना म0प्र0

बरामदगी का विवरण-

1- 24,50,000/- रुपये ( चौबीस लाख पचास हजार रुपये ) व घटना मे प्रयुक्त क्रेटा कार जिसका नम्बर UP 93 CD 8450 चेचिस नम्बर , MALPA813LRM88873

पुलिस टीम का विवरणः-

प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली मय पुलिस टीम